



**\*प्रेस नोट दिनांक 28.08.2023 जनपद – प्रतापगढ़\***

अवैध शराब की भट्टी पर छापेमारी, 63 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 02 क्विंटल लहन व शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार (थाना सांगीपुर)-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ के सभी थानाक्षेत्रों में अवैध शराब/अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में कल दिनांक 27.08.2023 की थाना सांगीपुर के उ0नि0 श्री राज नारायण यादव, उ0नि0 धनश्याम यादव व उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह महिला आरक्षी नेहा बाजपेयी, महिला आरक्षी आस्था शुक्ला द्वारा थानाक्षेत्र सांगीपुर के ग्राम पूरेकालिया का पुरवा तारापुर से 03 अभियुक्तों 01. अंकित सरोज पुत्र राकेश सरोज 02. रमेश सरोज पुत्र रामसुमेर 03. मठइन पत्नी राकेश सरोज नि0गण पूरेकालिया तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को अपने घर में एक भट्टी पर अवैध कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 63 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण, लगभग 02 क्विंटल लहन आदि सामान बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. अंकित सरोज पुत्र राकेश सरोज नि0 पूरेकालिया तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. रमेश सरोज पुत्र रामसुमेर नि0 पूरेकालिया तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. मठइन पत्नी राकेश सरोज नि0 पूरेकालिया तारापुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

## बरामदगी-

01. 63 लीटर अवैध अपमिश्रित अवैध शराब।
02. 02 क्विंटल लहन।

**पुलिस टीम-** उ0नि0 श्री राज नारायण यादव, उ0नि0 धनश्याम यादव व उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार पटेल मय हमराह महिला आरक्षी नेहा बाजपेयी, महिला आरक्षी आस्था शुक्ला थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 28.08.2023**

## 15 लीटर अवैध शराब बरामद थाना सांगीपुर

कल दिनांक 27.08.2023 को जनपद के थाना सांगीपुर से उ0नि0 श्री राज नारायण यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के हर्षपुर स्कूल , ग्राम असांव के पास से कर्मराज सरोज पुत्र भईयालाल सरोज

नि०ग्राम रायपुर पोस्ट बारो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 252/2023 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया है।